दाण्डिक प्र.क्र. 901158/13
म0प्र0 शासन विरूद्ध सुखदीन वगैरह

न्यायालयः—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला—कटनी (म.प्र.)
(समक्षः— इन्दु कान्त तिवारी)

रजिस्ट्रेशन नंबर—आर.सी.टी. 901158/13
फाइलिंग नंबर—1022—2013
सी.एन.आर.नं.—एम.पी.2101—000569—2013
संस्थित दिनांकः—26.02.2013

वन विभाग द्वारा
वन परिक्षेत्र— बड़वारा/बरही, जिला कटनी (म.प्र.)

..................अभियोजन

// विरूद्ध //

1. सुखदीन पिता नंदीलाल कोल उम्र 50 वर्ष
2. मुन्डा पिता महेश कोल उम्र 40 वर्ष
3. गुल्जारी पिता सुक्खू कोल उम्र 48 वर्ष
4. राजेश उर्फ दुर्बल यादव पिता खिलाड़ी यादव, उम्र— 18 वर्ष
   चारों निवासी— नन्हवारा कला, थाना बडवारा, जिला कटनी (म0प्र0)
5. पप्पू पिता सुंदर कोल उम्र 33 वर्ष
6. रज्जू पिता फूल सिंह लुनिया उम्र 30 वर्ष
7. संदीप पिता प्रताप सिंह लूनिया, उम्र— 27 वर्ष
8. उदय सिंह पिता सूरज सिंह लूनिया, उम्र— 45 वर्ष
   चारों निवासी— ग्राम जुगिया, थाना बडवारा, जिला कटनी (म0प्र0)
9. बुद्धु कोल पिता रामकृपाल कोल उम्र— 30 वर्ष
10. रामदास पिता नन्दीलाल कोल, उम्र— 40 वर्ष
    दोनों निवासी— ग्राम नन्हवाराखुर्द, थाना बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.)

.........................अभियुक्तगण

वन परिक्षेत्र—बडवारा/बरही, तहसील कटनी, जिला—कटनी के पी.ओ.आर. क्र. 268102 अपराध अंतर्गत धारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की 1972 की धारा 2, 9, 39, 50, 51 से उद्भूत प्रकरण

वन विभाग द्वारा :— सुश्री मंजुला श्रीवास्तव अधिवक्ता।
अभियुक्तगण द्वारा :— श्री एस. के. चतुर्वेदी अधिवक्ता।

08-2-21

(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

दाण्डिक प्र.क्र. 901158/13
म0प्र0 शासन विरूद्ध सुखदीन वगैरह

–:: निर्णय ::–
(आज दिनांक 08.02.2021 को घोषित)

01. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की 1972 की धारा 2, 9, 39, 50, 51 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 26.12.2012 को दोपहर 03–04 बजे अंतर्गत वन परिक्षेत्र बड़वारा/बरही के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष कमांक 448 जुगियाहार जमुना नाला के पास बिना किसी अनुमति के प्रवेश करते हुए संरक्षित वन्य जीव जो सूची कमांक–01 में शामिल राष्ट्रीय वन पशु अर्थात् बाघ का शिकार किया।

02. संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि मुखबिर द्वारा बाघ के मृत होने के घटना की सूचना मिलने पर वन अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पहुंचने पर घना स्थल से लावारिस मृत नर बाघ, टूटे जले घास, जली जी.आई. तार से बंधा पत्थर, बाघ के मुंह से गिरा लार खून मिट्टी में मिला। घटना स्थल के निरीक्षण पर प्रतीत हुआ कि बिजली के तार में करेंट से बाघ की मृत्यु हुई है। बिजली का कार्य जानने वाले व्यक्ति के द्वारा घटगा होना प्रतीत होने से पप्पू कोल, निवासी– जुगिया से पूछतांछ करने पर उसने अपने शिकारी साथी रज्जू लुनिया, मुण्डा कोल, सुखदीन कोल, रामदास कोल, गुल्जारी कोल, संदीप सिंह लुनिया, उदय सिंह लुनिया, बुद्धू कोल, राजेश उर्फ दुर्बल यादव के साथ मिलकर जी.आई. तार खूंटी की मदद से 11,000 किलोवॉट विद्युत लाईन में अंटी फंसाकर विद्युत प्रवाहित कर वन्य प्राणी नर बाघ का शिकार किए। इस प्रकार दिनांक 25.12.12 को अभियुक्तगण ने मिलकर 11,000 किलोवॉट विद्युत लाईन पर नंगी तार जमीन से 1 फुट से डेढ़ फुट उचाई पर खूटी गाड़ कर अंटी फंसाकर विद्युत प्रवाह कर वन्य प्राणी नर बाघ जो अनुसूची 1 का आरक्षित वन्य प्राणी है एवं भारत का राष्ट्रीय पशु है, को विद्युत करंट से फसाकर निर्दयता के साथ हत्या की गई।

03. अभियोजन का मामला आगे संक्षेप में यह है कि आरोपी पप्पू कोल की निशानदेही पर घटनास्थल से लेनटाना की 12 खूंटी, सूखी लकड़ी की 10 खूंटी, जी.आई. तार 15 मीटर लगभग जप्त किया गया। जप्त सामग्री सीलबंद की गई। आरोपी पप्पू कोल के बताएं अनुसार रज्जू लुनिया को पकड़ा गया एवं पूछतांछ की गई। आरोपी घटनास्थल प्रेमलाल के खेत से जी.आई. तार जले टुकड़े 15 नग, जी.आंई. तार का गुच्छा 10 मीटर लगभग, बांस की लुग्गी 02 नग, बिजली की तार फंसाने की अंटी लगभग 5 मीटर जप्ती

(... कान्त तिवारी)
08-2-21
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म०प्र०)

की गई और उसने नर बाघ मारने का आरोप स्वीकार किया गया। इसके बाद मुण्डा कोल से पूछतांछ की गई, जिसने आप अपने घर में जी.आई. तार 10 मीटर लगभग, 01 नग कुल्हाड़ी जप्त कराया एवं बाघ मारने का अपराध स्वीकार किया। आरोपी सुखदीन कोल से पूछतांछ करने पर उसने भी बाघ मारने का अपराध स्वीकार किया तथा अपने निशानदेही से जुगिया नाला में छिपाई जी.आई. तार 20 मीटर लगभग खूंटी 10 नग, कुल्हाड़ी 01 नग जप्त कराया। आरोपी पप्पू कोल के बताएं अनुसार गुल्जारी कोल को पकड़कर पूछतांछ करने पर उसने भी आरोप स्वीकार किया और निशानदेही से जी.आई. तार 20 मीटर, कुल्हाड़ी 01 नग की जप्ती कराया तथा महंगाहार में छिपाई 20 नग खूंटी को जप्त करवाया। आरोपी संदीप सिंह लुनिया को पकड़कर पूछतांछ की गई, उसने अपराध स्वीकार किया तथा अपने निशानदेही से घर में छिपाई जी.आई. तार 10 मीटर लगभग, खूंटी 15 नग, 01 नग कुल्हाड़ी जप्ती कराया। आरोपी उदय सिंह लुनिया से पूछतांछ करने पर अपराध स्वीकार किया तथा उसकी निशानदेही से घर में छिपाई जी.आई. तार 10 मीटर, कुल्हाड़ी 01 नग, खूंटी 05 नग की जप्ती करवाया। आरोपी बुद्धू कोल से पूछतांछ करने पर उसने आरोप स्वीकार किया तथा अपने घर में छिपाई जी.आई. तार 15 मीटर, खूंटी 05 नग, कुल्हाड़ी 01 नग को अपनी निशानदेही से जप्त करवाया। आरोपी रामदास कोल को पकड़कर पूछतांछ करने पर उसने आरोप स्वीकार किया एवं अपने निशानदेही से घर में छिपाए जी.आई. तार 20 मीटर लगभग एवं 01 नग कुल्हाड़ी की जप्ती कराया। घ टना के तीसरे दिन आरोपी राजेश उर्फ दुर्बल यादव को पकड़ा गया और पूछतांछ पर उसने आरोप स्वीकार किया एवं घर में रखी जी.आई. तार 20 मीटर एवं 01 नग कुल्हाड़ी की जप्ती गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती कराया। इस प्रकार आरोपीगण की निशानदेही पर मौके पर वन्य प्राणी नर बाघ का मृत शव, टूटे गले तार, बाघ के बाल, जली मिट्टी, जले बांस, तार का पिघला घोल मिट्टी के साथ चिपका, बाघ के मुंह से गिरा लार खून मिट्टी में मिला हुआ। खूंटी, जी.आई. तार की जप्ती बनाई गई और आरोपियों से शिकार में उपयोग की गई सामग्री की जप्ती की गई, जिन्हें सीलबंद किया गया।

04. अभियोजन का मामला आगे संक्षेप में यह है कि दौरान विवेचना साक्षीगण के कथन लिए गए। नर बाघ का पोस्टमार्डम कराया गया। मौका पंचनामा, नजरी नक्शा, नक्शा पंचनामा बनाया गया, गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विसरा एवं टिसू के रासायनिक परीक्षण तथा मेडिको लीगल परीक्षण कराया गया। पी.ओ.आर. काटी गई है और मृत बाघ की फोटो ली जाकर संपूर्ण विवेचना उपरांत अन्वेषण पूर्ण होने पर

08-2-21
(हिन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

आरोपीगण के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की 1972 की धारा 2, 9, 39, 50, 51 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध विवेचना उपरांत दिनांक 26.02.2013 को उक्त धाराओं में अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

05. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित कर सुनाए जाने पर उनके द्वारा आरोपित आरोप से इंकार किया गया और विचारण की मांग की गई। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त अभिवाक परीक्षण मे अपराध करना अस्वीकार किया। बचाव में साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

विचारणीय प्रश्न निम्न हैं कि :–

01. क्या, अभियुक्तगण ने दिनांक 25.12.2012 को लगभग 03–04 बजे दोपहर अंतर्गत वन परिक्षेत्र बड़वारा/बरही के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष कमांक 448 जुगियाहार जमुना नाला के पास बिना किसी अनुमति के प्रवेश करते हुए संरक्षित वन्य जीव जो सूची कमांक–01 में शामिल राष्ट्रीय वन पशु बाघ का शिकार किया?

–:: विवेचना एवं निष्कर्ष ::–

06. इस संबंध में अभियोजन साक्षी रामप्रमोद अ.सा.–1 ने इस आशय के कथन किए हैं कि वह वर्ष 2010 में वन विभाग में ड्रायवर के रूप में बरही में कार्य कर रहा था। वर्ष 2012 में कक्ष कमांक– 448 जुगिया खुर्द के पास बाघ की करेंट लगने से मृत्यु हुई थी, वह वन विभाग अधिकारियों, बीट गार्ड के साथ मौके पर गया था। जहां बाघ की मृत्यु हुई थी, वहां मौके से बाघ, बिजली के तार, मिट्टी आदि उसके सामने जप्त हुआ था। उक्त लिखा पढ़ी की कार्यवाही डिप्टी साहब ने की थी लेकिन उनका नाम उसे याद नहीं है। जप्ती पंचनामें प्रदर्श पी 1, प्रदर्श पी 2, प्रदर्श पी 3, प्रदर्श पी 4, प्रदर्श पी 5, प्रदर्श पी 6, प्रदर्श पी 7, प्रदर्श पी 8, प्रदर्श पी 9, प्रदर्श पी 10, प्रदर्श पी 11, प्रदर्श पी 12 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साथ ही जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 13 लगायत 23 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

07. इस संबंध में अभियोजन साक्षी सुकेश कुमार जरहा अ.सा.–2 ने इस आशय के कथन किए हैं कि वह वनरक्षक के पद पर वन परिक्षेत्र बड़वारा में अक्टूबर 2009 से पदस्थ है। वर्ष 2012 में भी वह वनरक्षक के पद पर पदस्थ था और उसे कार्य के लिए जमुनिया बीट सौंपा गया था। वनपरिक्षेत्र अधिकारी के रूप में श्री कपिल कुमार शर्मा एवं सहायक वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री अनिल कुमार पांण्डे तथा

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

गोविंद कुमार मिश्रा वनरक्षक के रूप में एवं कटनी वनपरिक्षेत्र में श्री मुकेश कुंडे, श्री राजेन्द्र कुमार कर्ण, वनपाल वनपरिक्षेत्र कटनी, श्री रमेश कुमार काछी, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र बड़वारा श्री गोविंद नारायण शुक्ला, उपवन क्षेत्रपाल वनपरिक्षेत्र कटनी के रूप में पदस्थ थे। वह दिनांक 26.12.12 को अपनी बीट में कार्य करने गया था। दिन में लगभग 03 बजे उसके अधिकारी श्री गोविंद मिश्रा और रमेश काछी की ओर से दूरभाष पर सूचना दी गई कि जुगियाकला, जमुनिया नाला के पास एक बाघ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना उपरांत वह अपनी बीट से निकलकर मौके के लिए रवाना हुआ, उस समय उसके साथ वन सुरक्षा समिति के ध्रुव सिंह थे। वह तथा ध्रुव सिंह 04 बजे मौके पर पहुंचे थे।

08. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के कथन किए हैं कि जब वह तथा ध्रुव सिंह मौके पर पहुंचे तो उसने एक बाघ को मृत अवस्था में देखा था जो धारीदार टाईगर था जो लगभग 07 वर्षीय रहा होगा जो करवट अवस्था में मृत हालत में उसके द्वारा देखा गया था। जब वह और ध्रुव मौके पर पहुंचे उस समय कटनी परिक्षेत्र एवं बडवारा परिक्षेत्र के अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। उसने घटना स्थल से 50 मीटर की दूरी पर 11सौ के.व्ही. की विद्युल लाईन को उपर से गुजरते हुए देखा था तथा मौके के पास से जी.आई. तार जो 15 से 20 मीटर लंबाई लिए हुए था जो खूटियों में गड़ा हुआ था और फैला हुआ था, जिसमें एक स्थान से देखने पर उसे यह दिखा कि उस जी.आई. तार में विद्युत धारा प्रवाह होने पर टाईगर को करंट लगने के कारण तार पिघल सा गया था। उसने मृत वन्य जीव टाईगर का मुआयना किया। मुआयना करने पर उसने देखा कि टाईगर की पूछ विद्युत करंट के संपर्क में आने से जल गयी थी तथा पिछले पंजे पर करंट के संपर्क में आने पर उसने जले का निशान पाया था तथा यह भी पाया था कि मवेशी को करंट लगने के उपरांत स्वरूप उसके मुंह से रक्त निकला हुआ था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि करंट लगने के परिणामस्वरूप ही उसके मुंह से खून निकला था।

09. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के कथन किए हैं कि उसने मौके पर बरामदशुदा वन्यजीव को सुरक्षार्थ हेतु अपने आधिपत्य में लेने से पूर्व मौके पर उपस्थित गवाहों की मौजूदगी में जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 तैयार किया था, जिसके

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

कोर्ट फी 2 रु. COURT भारत INDIA TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED
कोर्ट फी 2 रु. Rs.2 COURT भारत INDIA TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED

बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उस पर रामप्रमोद, ध्रुव सिंह, गोविंद, रमेश, मुकेश, राजेंद्र कर्ण, शीतल कुमार दुबे के भी हस्ताक्षर हैं। उसने वन्यजीव का जप्तीनामा फार्म प्रदर्श पी 13 गवाहों की उपस्थिति में तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर बरामद टूटे जले हुए तार के टुकड़े, वन्य जीव के बाल, जली हुई मिट्टी को भी गवाहों की उपस्थिति में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 14 तैयार किया था, जिसके ए से ए एवं सी से सी भाग पर गवाहों एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्श पी 14 का जप्ती पंचनामा तैयार किया था जो दो पत्रों में है। मौके पर फैले तार के जले टुकड़े, मिट्टी आदि के संबंध में प्रदर्श पी 2 का जप्ती पत्रक तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसके संबंध में उसने प्रदर्श पी 14 का पंचनामा तैयार किया था। इसी प्रकार उसने प्रदर्श पी 3 का पंचनामा उसी तरीके से तैयार किया था, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जली हुई मिट्टी, जली हुई घास, तार का पिछला भाग जो मिट्टी के साथ चिपका हुआ था को जप्त करने के संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 16 तैयार किया था, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं ए से ए तथा सी से सी भाग पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं।

10. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के कथन किए हैं कि उसने घटना स्थल से वह पत्थर जिसमें जी.आई. तार बांधा था, को प्रदर्श पी 5 के माध्यम से जप्ती पंचनामा तैयार कर प्रदर्श पी 17 का दस्तावेज तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके एवं ए से ए भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं। उसने करौंदा की झाड़ी में बंधी लेनटाना लकड़ी से बंधा हुआ तार के संबंध में प्रदर्श पी 6 का पंचनामा तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके एवं ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं। उसने मृत वन्यजीव के मुंह से निकला रक्त एवं लार, लार से सनी मिट्टी प्रदर्श पी 7 का पंचनामा तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके एवं ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों के तथा अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, जिसके संबंध में उसके प्रदर्श पी 18 का जप्ती पंचनामा फार्म तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके एवं ए से ए एवं सी से सी भागों पर

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

गवाहों के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृत वन्यजीव नर बाघ की पूछ से 07.30 मीटर की दूरी पर स्थित लेनटाना की सूखी लकड़ी, जिसमें तार बंधा हुआ था की जप्ती के संबंध में प्रदर्श पी 8 का पंचनामा तैयार किया था जिसके बी से बी भागों पर उसके एवं ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों तथा अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, जिसके संबंध में प्र.पी. 19 का जप्ती पंचनामा तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके एवं ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं।

11. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के भी कथन किए हैं कि उसने जिस खूटी में तार बंधा हुआ था, उस खूटी की जप्ती के संबंध में प्र.पी. 9 का पत्रक तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके एवं ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों तथा अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, जिसके संबंध में उसने प्र.पी. 20 का पंचनामा तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके तथा ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं। उसने खूटी एवं खूटी में बंधे तार को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 10 का पत्रक तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके एवं ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों तथा अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। इसके संबंध में उसने प्र.पी. 21 का जप्ती पंचनामा तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके तथा ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं। उसने खूंटी में बंधा हुआ तार की जप्ती के संबंध में प्र.पी. 11 का पंचनामा तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके तथा ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में उसने प्र.पी. 22 का दस्तावेज तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके तथा ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं। उसने करौंदा की झाड़ी में छिपाकर रखा हुआ जी.आई. तार को जप्त करने के संबंध में प्र.पी. 12 का जप्ती पत्रक तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके तथा ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं और इस संबंध में प्र.पी. 23 का दस्तावेज तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर उसके तथा ए से ए एवं सी से सी भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं।

12. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के कथन किए हैं कि ग्रामीणजन से पूछताछ की थी तो उन्होंने जानकारी दी थी कि बुद्धू कोल नाम व्यक्ति का खेत उस

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

ओर पड़ता है, जिसका आना–जाना लगा रहता है। उसके साथ अन्य लोग भी उस ओर जाते हैं। मौके पर वनपरिक्षेत्र अधिकारी ने पंचनामा बनाया था जो प्र.पी. 24 है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर वन्य प्राणी के पशु चिकित्सक आए थे, जिन्होंने शव का प्रतिच्छेदन किया था। उसके पश्चात् वन्य जीव के शव को मुख्य वनरक्षक एवं उपस्थित चिकित्सक व स्टॉफ की उपस्थिति में शव को जलाने के संबंध में जलाने का पंचनामा तैयार किया जाकर शव को जलाया था। उसके उपरांत वह तथा अन्य वन्य अधिकारी घटना कारित करने वाले आरोपी व व्यक्ति की जानकारी में जुट गए थे।

13. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के भी कथन किए हैं कि दिनांक 28.12.16 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पप्पू कोल नामक व्यक्ति जो ग्राम जुगिया का रहने वाला है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है जो इस घटना में शामिल है। जिस पर वह तथा अन्य स्टॉफ पप्पू के घर गए और उससे पूछतांछ की। पूछतांछ करने पर उसने बताया कि वह बुद्धू कोल नामक व्यक्ति के खेत के पास अपने साथियों के साथ गया था और उसने वहां पर जी.आई. तार के माध्यम से करंट लगाया था। उसने मौके पर अपने पास से निकालकर लेनटाना की लगभग 12 नग लकड़ी व जी.आई. तार दिया था, जिसे वनपाल के द्वारा जप्त किया गया था। जप्ती पत्रक प्र.पी. 25 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में जप्ती पंचनामा प्र.पी. 26 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उसके समक्ष बी से बी भागों पर पप्पू कोल ने हस्ताक्षर किए थे। उस दौरान पूछतांछ के समय पप्पू कोल ने अपने साथियों के नाम बताया था, जिसमें सुखदीन, रज्जू, मुन्ना, गुलजारी, संदीप, उदय, बुद्धू, रामदास और राजेश के नाम बताए थे। पूछतांछ के दौरान पप्पू ने यह बताया था कि अपने उक्त साथियों के साथ वनजीव के शिकार के लिए 300 मीटर की रेंज में खूटियां गड़ाते थे और जहां पर खूंटी गाड़ने की जगह न मिले तब पत्थर रखकर करंट के लिए जमीन से तार की उंचाई बढ़ाते थे। उसके बाद वे उपर से गुजरने वाली विद्युत लाईन से उसमें कनेक्शन कर लेते थे। पप्पू कोल द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कथन अंकित किए थे। उसे वन मंडल कटनी से मृत वन्य जीव बाघ के अंश का परीक्षण

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

कराये जाने हेतु सीलबंद अवस्था में वस्तुएं मिली थीं, जिसे उसने वेटनरी कॉलेज, जबलपुर में जमा किया जाकर एफ.एस.एल. रिपोर्ट के लिए सागर पहुचाया था। उक्त मामले में दिनांक 26.12.12 को ही उसके द्वारा वन अपराध के संबंध में पी.आर.ओ. काटा गया था, जो प्रकरण में प्र.पी. 27 के रूप में संलग्न है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में संलग्न आर्टिकल ए–1 से लगायत ए–5 की फोटो में दर्शित वन्य जीव वाला बाघ ही है, जिसे उसने मौके पर मृत अवस्था में देखा था और उसके संबंध में जप्ती एवं अन्य कार्यवाही की थी।

14. अभियोजन साक्षी अनिल कुमार पाण्डे अ.सा.–3 ने इस आशय के कथन किए हैं कि वह वर्ष 2012 में वनपाल के रूप में वनपरिक्षेत्र बड़वारा में पदस्थ था तथा अभियोजन साक्षी राजेन्द्र कुमार कर्ण अ.सा.–4 ने इस आशय के कथन किए हैं कि वह वनपाल के पद पर वर्ष 2011 से वनपरिक्षेत्र कटनी में वनपरिक्षेत्र सहायक कटनी में पदस्थ था। दिनांक 26.12.12 को सुबह के लगभग 06 बजे सूचना मिली की आर.एफ. 448 के जंगल में एक बाघ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसने उसके साथ में पदस्थ पुलिस अधिकारी व कर्मी को सूचना देकर मौके पर रवाना किया था। जब वह मौके पर स्टॉफ सहित पहुंचा तो उसने देखा कि बाघ मृत अवस्था में लावारिस स्थिति में पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उसके द्वारा उसके वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी और उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों की सहायता से बाघ के शव को सुरक्षित रखने के आशय से घेराबंदी की गई ताकि जनता मृत बाघ तक न पहुंच सके। सूचना मिलने पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विभाग से सी.एफ. श्री खान साहब और एस.डी.ओ. श्री परिहार साहब, परिक्षेत्र अधिकारी श्री मिश्रा साहब एवं अन्य वन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिनकी उपस्थिति में मौके पर अधीनस्थ अधिकारी श्री सुरेश कुमार जरहा द्वारा बरामदशुदा वस्तुओं के संबंध में जप्ती पंचनामा व जप्ती कार्यवाही की गई। मौके पर सी.एफ. साहब ने वन्य जीव के शव के परीक्षण हेतु डॉ. साहब को पत्र जारी किया था जो प्रकरण में प्र.पी. 34 के रूप में संलग्न है, जिस पर सी.एफ. श्री खान साहब के ए से ए भागों पर हस्ताक्षर हैं।

15. अभियोजन साक्षी अनिल कुमार पाण्डे अ.सा.–3 ने आगे इस आशय के कथन किए हैं कि चिकित्सक दूसरे दिन मौके पर पहुंचे थे जो बांधवगढ़ एवं पन्ना

09-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

नेशनल पार्क से आये थे। उसने मौके पर प्र.पी. 28 का पंचनामा तैयार किया था, जिसके बी से बी भागों पर गवाह के रूप में उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर उपस्थित चिकित्सकों ने शव का प्रतिच्छेदन किया था उसका विसरा निकालकर मौके पर सीलबंद किया था, शेष भाग को जलाए जाने के संबंध में उसके द्वारा प्र.पी. 29 का पंचनामा बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाघ के जल जाने का पंचनामा प्र.पी. 30 उसके द्वारा बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विसरा को परीक्षण हेतु सी.एफ. श्री खान ने पत्र जारी कर फोरेंसिक प्रयोग शाला, सागर एवं जबलपुर पहुचाया था। भेजे गए पत्र की प्रति इसमें संलग्न है जो प्र.पी. 35 एवं 36 है, जिस पर सी.एफ. श्री खान के हस्ताक्षर ए से ए भागों पर हैं। मौके पर पहुंचने पर देखी गई परिस्थिति और मृत बाघ को देखने पर उसे लगा कि बाघ की करंट से मृत्यु हुई थी। मौके पर उसके बाघ के शव को देखा था, जिसकी पूछ करंट से जली हुई थी तथा गले में करंट के निशान लगे थे तथा जी.आई. तार भी जलकर टूटी हुई अवस्था में पड़ी हुई देखा था। जिन चिकित्सकों ने बाघ के शव का परीक्षण किया था उन्होंने भी बाघ की मृत्यु करंट लगने के परिणामस्वरूप ही पाई थी।

16. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के कथन किए हैं कि मौके पर लगाए गए विद्युत तार से लग रहा था कि कोई बिजली के जानकार व्यक्ति ने उक्त घटना में सहयोग कारित कर घटना कारित की है, तब जांच टीम के द्वारा यह पता किया गया कि ग्राम जुगया में बिजली की जानकारी रखने वाला व्यक्ति कौन है। इस संबंध में संदेह के आधार पर पप्पू कोल से पूछतांछ की गयी थी और पूछतांछ कर उसके द्वारा प्र.पी. 31 के कथन लेखबद्ध किए गए, जिसके ए से ए भाग पर उसके, बी से बी एवं सी से सी भाग पर गवाहों के तथा डी से डी भाग पर आरोपी पप्पू कोल के हस्ताक्षर हैं। आरोपी के बताए अनुसार बरामदशुदा वस्तु की जप्ती की कार्यवाही श्री मिश्रा द्वारा उसके समक्ष की गई थी। उक्त जप्ती पंचनामा प्र.पी. 32 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी पप्पू कोल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अन्य आरोपीगण से पूछतांछ कर उसके द्वारा बयान लेखबद्ध किए गए थे, जिसमें आरोपी कल्लू के बयान प्र.पी. 37, आरोपी मुन्ना के प्र.पी. 38,

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

आरोपी गुलजारी के प्र.पी. 39, आरोपी संदीप के प्र.पी. 40, आरोपी उदय सिंह के प्र. पी. 41, आरोपी बुद्धूलाल के प्र.पी. 42, आरोपी रामदास के प्र.पी. 43, आरोपी राजेश के प्र.पी. 44 के बयान उनके बताये अनुसार उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए थे, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा ए से ए भाग पर आरोपी एवं सी से सी भागों पर गवाहों के बयान हैं, जिसमें उनके द्वारा वन्य प्राणी संबंधी अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया था।

17. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के कथन किए हैं कि मामले के साक्षी अशोक, रामप्रमोद, रमन कुमार, सुकेश कुमार, राजेंद्र कर्ण, ध्रुव सिंह, गोविंद, मुकेश कुंडे के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे तथा मामले में आरोपीगणों की गिरफ्तारी पंचनामा उसके द्वारा ही बनाया गया था जो प्रकरण में प्र.पी. 45 से लगायत 49 है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगणों की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजन के दी थी, जिसकी पावती प्रकरण में संलग्न है। इसके अलावा मामले की अन्य कार्यवाही अन्य वन्य अधिकारी द्वारा की गई थी। प्रकरण में संलग्न आर्टिकल ए–1 से लगायत ए–5 में दर्शित बाघ का शव वही शव है, जिसे उसने मौके पर देखा था।

18. अभियोजन साक्षी राजेन्द्र कुमार कर्ण अ.सा.–4 ने इस आशय के कथन किए हैं कि मौके पर स्थित वन्य कक्ष कमांक– आर.एस. 448 में बुद्धू कोल नामक व्यक्ति के खेत के समीप संरक्षित वन्य जीव बाघ मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। मौके पर उसने यह भी देखा था कि बाघ की करेंट से पूछ जली हुई थी और जी.आई तार के टुकड़े जली हुई अवस्था में पड़े हुए थे। लेनटाना की लकड़ी जली हुई अवस्था में खूंटी के रूप में पड़ी थी। जहां पर उसने वन्य प्राणी के मुख के लार व खून निकली अवस्था में देखा था, जिससे मिट्टी आदि गीली हो गयी थी। मौके पर मिली हुई वस्तु एवं मृतक वन्य प्राणी जीव के संबंध में बड़वारा वन परिक्षेत्र के वन अधिकारियों ने मौका पंचनामा एवं जप्त किए जाने वाले सामान की जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था। मौका पंचनामा प्र.पी. 24 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के डी से डी भागों पर एवं प्र.पी. 28, 29, 30 के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

19. उक्त साक्षी ने आगे बताया है कि दिनांक 27.12.12 को बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पन्ना के नेशनल पार्क से चिकित्सकों की टीम आई थी। उस समय मुख्य वनसंरक्षक अधिकारी, जबलपुर और वन मण्डल अधिकारी, कटनी मौके पर उपस्थित हुए थे, जिनकी उपस्थिति में मृतक वन्य जीव के शव का पंचायतनामा तैयार कर चिकित्सकों ने प्रतिच्छेदन किया था तथा मौके पर ही शव को जलाए जाने के संबंध में पंचनामा तैयार कर चिकित्सकों व उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति में शव को जलाया गया था। मौके पर उपस्थित चिकित्सकों ने मृतक वन्य प्राणी के विसरे को परीक्षण हेतु भेजे जाने के संबंध में सीलबंद किया था। दिनांक 28.12.12 को वन्य प्राणी के साथ अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों की जानकारी की पतासाजी करने के लिए वन्य अधिकारियों के साथ–साथ पूछतांछ करने के लिए ग्राम जुगिया पहुंचा था। संदेह के आधार पर जुगिया निवासी पप्पू कोल को पकड़ा गया था, जिसने उसके सामने वनपाल श्री पाण्डे को कथन दिया था। उस समय पप्पू कोल ने जानकारी दी थी कि उसने अपने नौ अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 25.12.12 और 26.12.12 की दरम्यानी रात में मगरा हार से बुद्धू कोल नाम के व्यक्ति के खेत से होते हुए जी.आई. तार खूटियों की सहायता से लगाया था और विद्युत खंबे से विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत तार में करंट फैलाया था। बाद में पता चला कि कोई बड़ा जानवर करेंट की चपेट में आकर खत्म हो गया है तब पप्पू और उसके साथी अपने–अपने घर चले गए थे।

20. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के भी कथन किए हैं कि पप्पू ने उस समय बुद्धू कोल, रज्जू लुनिया, सुखदीन के नाम बताए थे। इसके अलावा मुन्ना कोल, गुलजारी, संदीप, उदय, रामदास, राजेश के नाम बताए थे। बात पुरानी हो गई थी, इसलिए उसे नाम याद नहीं आ रहे थे। पप्पू को मौके पर ले जाया गया था जहां पर जी.आई. तार लगभग 15 मीटर और लेनटाना लकड़ी की खूंटी लगभग 12 नग को बरामद कर जप्त करते हुए जप्ती पत्रक श्री सुरेश जरहा द्वारा बनाई गई थी। उसके सामने रज्जू लुनिया नामक आरोपी से विद्युत तार से लगे कवर वाली डोरी को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया था तथा मौके पर जप्तशुदा सभी सामग्री को जप्तीकर्ता वन अधिकारी द्वारा सीलबंद किया गया था। इस संबंध में

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

उसने मामले के विवेचना अधिकारी को कथन अंकिए कराए थे जो प्रकरण में प्र.पी. 33 के रूप में संलग्न है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में संलग्न प्र.पी. 26 के जप्ती पंचनामा उसकी उपस्थिति में तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पप्पू कोल के प्र.पी. 31 के कथन उसके समक्ष अंकित किए गए थे, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सहायक वनपरिक्षेत्र अधिकारी ने रज्जू लुनिया से बरामद वस्तु को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 32 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह मौके पर गया था तो उसे देखने से यह लगा था कि संरक्षित वन्य जीव बाघ विद्युत धारा के प्रवाह के संपर्क में आने से मृत हुआ था। चिकित्सक द्वारा शव परीक्षण के पश्चात् यह आया था कि वन्य प्राणी विद्युत करेंट से ही मृत हुआ था। परीक्षण के लिए विसरा एफ.एस.एल., सागर और वेटेनरी कॉलेज, जबलपुर भेजा गया था, किंतु उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वहां से किस प्रकार की रिपोर्ट आई थी। उसने प्रकरण में संलग्न आर्टिकल ए–1 से लगायत ए–5 में दर्शित जीव वह जीव ही है, जिसे उसने मौके पर मृत अवस्था में देखा था।

21. अभियोजन साक्षी रमेश काछी अ.सा.–5 ने इस आशय के कथन किए हैं कि वह तत्समय वन परिक्षेत्र, विजयराघवगढ़ में वनपाल के पद पर पदस्थ था। दिनांक 26.12.12 को उसे परिक्षेत्र सहायक श्री राजेन्द्र कुमार कर्ण ने इस आशय की सूचना दी थी कि आर.एफ. 48 जुगिया गांव के पास वन संरक्षण जीव बाघ के मरने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचने पर उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं कनिष्ठ अधिकारी को मौके पर पाया था। उसने मौके पर मृत अवस्था में बाघ को देखा था। बाघ को देखने पर उसे लगा था कि वह विद्युत करेंट लगने से मृत हुआ है। उसके समक्ष वन अधिकारियों ने मृतक बाघ के शव की जप्ती संबंधी कार्यवाही की थी और मौके पर बरामद जी.आई. तार के टुकड़े, बाघ के बाल, जली हुई मिट्टी के अलावा और बांस की खूटी 15 नग मिली थी, के संबंध में जप्त कर जप्तीनामा बनाया गया था। मौके पर जप्ती की कार्यवाही का जप्ती पंचनामा प्र.पी. 24 बनाया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर वन मंडल अधिकारी एवं वन संरक्षक महोदय अलावा, डॉक्टरों की टीम आई थी। डॉक्टरों ने

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

मृतक बाघ के शव का प्रतिच्छेदन किया था। उसके उपरांत शव जलाने का पंचनामा आदि तैयार किया गया था। वन अधिकारी ने उससे पूछतांछ कर उसके बयान अंकित किए थे।

22. अभियोजन साक्षी मुकेश कुंडे अ.सा.–6 ने इस आशय के कथन किए हैं कि वह वर्ष 2012 में वन परिक्षत्र कटनी में बीट मझगवां में पदस्थ था। उक्त दिनांक 26.12.12 को उसके वरिष्ठ अधिकारी श्री आर.के. मिश्रा रेंजर ने उसे तथा उसके साथियों को बुलाकर सूचना दी कि उन्हें जुगियाहार जाना है, जहां पर संरक्षित वन जीव बाघ का विद्युत करेंट के माध्यम से शिकार किया गया। सूचना उपरांत वह तथा उसके साथी गोविंद राम शुक्ला, राजेन्द्र कर्ण के साथ मौके पर पहुचे थे। मौके पर आर.एफ. 448 जुगिया पाल में पहुंचने पर उसने तथा उसके साथियों ने देखा कि बुद्धू के खेत के पास संरक्षित वन जीव बाघ मृत अवस्था में पड़ा है। मौके पर उसने मृतक वन जीव के पूछ में जलने का निशान एवं जी.आई. तार के टुकड़े देखे तो उसे लगा कि उक्त वन जीव को विद्युत करेंट की सहायता से मृत किया गया। मौके पर बरामदशुदा वस्तु का पंचनामा एवं जप्तीनामा वन अधिकारी द्वारा उसके समक्ष तैयार की गई थी। जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आदि दस्तावेजों पर डी से डी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर बरामदशुदा जी.आई तार, रक्तरंजन मिट्टी, लाल रजित मिट्टी आदि को सीलबंद किया गया था तथा करौंदे की झाड़ी से गुछे में जी.आई. तार मिला था जिसे जप्त किया गया था। उक्त कार्यवाही करते–करते रात होने के कारण वे सभी वापस कार्यालय आ गए। दूसरे दिन मौके पर चिकित्सकों की टीम आई थी, जिन्होंने मौके पर संरक्षित जीव के शव का परीक्षण किया था। डॉक्टरों के अनुसार ही वन जीव की मृत्यु बिजली से हुई थी।

23. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के भी कथन किए हैं कि मौके पर शव प्रतिच्छेदन–के उपरांत शव को जलाए जाने के संबंध में पंचनामा किया गया था उसके पश्चात् शव को जलाया गया था। इस संबंध में तैयार किया गया जलाने का पंचनामा एवं अन्य दस्तावेज तैयार किए गए थे तथा इस संबंध में उससे पूछतांछ किया गया था। उक्त प्रारंभिक जांच के दौरान उपस्थित वन अधिकारियों ने यह पाया कि बुद्धूलाल कोल नामक व्यक्ति के खेत के पास की घटना घटी है तो उसका

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

इस घटना से संबंध हो सकता है।

24. अभियोजन साक्षी विजय कुमार चौहान अ.सा.–7 ने इस आशय के कथन किए हैं कि वर्ष 2012 में वह वन परिक्षेत्र कटनी में पदस्थ था। दिनांक 26.12.2012 को उसके वरिष्ठ अधिकारी श्री आर. के. मिश्रा रेंजर ने सूचना दी थी कि जुगियाहार में संरक्षित वन जीव बाघ का विद्युत करेंट के माध्यम से शिकार किया गया। सूचना उपरांत वह अपने स्टॉफ, जिसमें गोविंद राम शुक्ल, मुकेश कुंडे, राजेन्द्र कर्ण के साथ मौके पर पहुचा था। जब वह अपने साथी सहित मौके पर पहुंचा तो उसने संरक्षित बाघ को मृत अवस्था में देखा था तथा बाघ की विस्टा एवं उसके समीप जी.आई. तार के जले हुए टुकड़े पड़ी हुई अवस्था में देखा था। तलाश करने पर कुछ दूरी पर लगभग 5–6 मीटर की जी.आई. तार लेनटाने की खूटी के साथ लटका हुआ मिला। तार को देखते हुए वे लोग आगे की ओर बढ़े तो लगभग 50 मीटर की दूरी पर विद्युत पोल लगा था, जहां से विद्युत धारा जी.आई. तार में प्रवाहित होना दर्शित हुआ था। मौके पर उपस्थित अन्य वन्य अधिकारी ने उसके सामने मौके पर मिले मृत नर बाघ तथा अन्य वस्तु के जप्ती पंचनामा को तैयार कर जप्ती पत्रक तैयार किया था। उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के भी कथन किए हैं कि मौके पर बरामद वस्तु को सील करते हुए जीपीएस रीडिंग तैयार की गई और मौके पर उसके सहायोगी वन अधिकारियों ने नजरी नक्शा मौका दर्शित करने के लिए बनाया था, उसके पश्चात् वह वापस अपने कार्य पर आ गया था। इस संबंध में अन्य वन अधिकारी ने उसके बयान प्रकरण में संलग्न किए थे।

25. अभियोजन साक्षी गोविंद नारायण शुक्ला अ.सा.–8 ने इस आशय के कथन किए हैं कि वह वर्ष 2012 में वन परिक्षेत्र कटनी में कैलवारा बीट में पदस्थ था। दिनांक 26.12.12 को उसके वरिष्ठ अधिकारी श्री आर.के. मिश्रा रेंजर ने उसे तथा उसके साथियों को बुलाकर सूचना दी कि उसे जुगियाहार जाना है, जहां पर संरक्षित वन जीव बाघ का विद्युत करेंट के माश्यम से शिकार किया गया। सूचना उपरांत वह तथा उसके साथी मुकेश कुंडे, राजेन्द्र कर्ण के साथ मौके पर पहुचे। मौके पर आरएफ 448 जूगीया पोल में पहुंचने पर उसने तथा उसके साथियों ने यह देखा कि एक संरक्षित वन जीव बाघ मृत अवस्था में पड़ा है। मौके पर उसने मृतक

08-2-21
(हिन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म0प्र0)

वन जीव के पूछ में जलने का निशान एवं जीआई तार के टुकड़े देखे तो उसे लगा कि उक्त वन जीव को विद्युत करेंट की सहायता से मृत किया गया। मौके पर बरामदशुदा वस्तु का जप्त पंचनामा एवं जप्तीनामा वन अधिकारी द्वारा उसके समक्ष तैयार की गई थी। जप्ती पंचनामा प्र.पी.– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आदि दस्तावेजों पर डी से डी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर बरामदशुदा जी. आई. तार, रक्तरंजन मिट्टी लाल रजित मिट्टी आदि को सीलबंद किया गया था। उक्त कार्यवाही करते–करते रात होने के कारण वे सभी वापस कार्यालय आ गए। दूसरे दिन मौके पर चिकित्सकों की टीम आई थी, जिन्होंने मौके पर संरक्षित जीव के शव का परीक्षण किया था। डॉक्टरों के अनुसार ही वन जीव की मृत्यु बिजली से हुई थी।

26. उक्त साक्षी ने आगे इस आशय के कथन किए हैं कि मौके पर शव प्रतिच्छेदन के उपरांत शव को जलाए जाने के संबंध में पंचनामा किया गया था, उसके पश्चात् शव को जलाया गया था। इस संबंध में तैयार किया गया जलाने का पंचनामा एवं अन्य दस्तावेज तैयार किया गया था तथा इस संबंध में उससे पूछतांछ किया गया था। उक्त प्रारंभिक जांच के दौरान उपस्थित वन अधिकारियों ने यह पाया कि बुद्धूलाल कोल नामक व्यक्ति के खेत के पास घटना घटी है तो उसका इस घटना से संबंध हो सकता है।

27. अभियोजन साक्षी ध्रुव सिंह अ.सा.–9 ने इस आशय के कथन किए हैं कि वन विभाग में चौकीदार के रूप में वर्ष 1999 से पदस्थ था। उसे याद नहीं था कि दिनांक 26.12.2012 को वह किस परिक्षेत्र में पदस्थ था। उसके सामने किसी वन्य अधिकारी ने किसी वन्य जीव के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज तैयार नहीं किए परंतु पंचनामा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आदि दस्तावेजों में उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सुझाव देने पर कि आपके समक्ष उक्त पंचनामा प्रदर्श पी 1 लगायत 12 उसके समक्ष तैयार किए गए थे, तब उक्त साक्षी ने इंकार करते हुए अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन का कोई समर्थन नहीं होता है।

08-2-21

(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

28. अभियोजन साक्षी डॉ. नितिन गुप्ता अ.सा.–10 ने इस आशय के कथन किए हैं कि वह माह दिसम्बर 2012 में बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में पशु चिकित्सक के रूप में पदस्थ था। उसे वन परिक्षेत्र बड़वारा में संरक्षित वन जीव बाघ के आकस्मिक मौत की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच हेतु टीम बनाई गई थी, उस टीम का वे तथा डॉ. संजीव कुमार गुप्ता सदस्य थे। सूचना मिलने पर वह तथा डॉ. संजीव गुप्ता ने मौके पर पहुंच कर संरक्षित वन जीव बाघ के मृतक शरीर का शव प्रतिच्छेदन कर उसकी रिपोर्ट तैयार की थी। परीक्षण के दौरान उन्होंने तथा उनके साथी गुप्ता ने निम्न प्रकार की परिस्थिति पाई थीः–

1. बाघ के पिछले बाएं पाव के पैर के तलवे में 12 से.मी. लंबा व 3 से.मी. गहरा जला हुआ घाव पाया।
2. इसके साथ ही पूंछ में 10 से.मी. लंबा व 8 से.मी. चौड़ा जला हुआ घाव था।
3. दोनों चोटों की चमड़ी जली हुई व झुलसी हुई पाई थी।
4. बाघ के शरीर के बाह्य छिद्र से जैसे नाक, गुदा द्वार आदि से गहरे रंग का रक्त निकल रहा था।
5. श्वास नली की म्यू कोसा में कई सारे रक्त के बारी धब्बे उपस्थित थे।
6. फेफड़े, लीवर, ब्रेन (मैनेजस) में कन्जेसन था।
7. बाघ के हृदय के पेरी कार्डियल भाग में रक्त के हिमोरेजिस थे।
8. हृदय की मसल्स में अलग–अलग स्तर के हिमोरेजिस थे।
9. हृदय के कक्षों में काला न जमा हुआ रक्त उपस्थित था।
10. हृदय की बड़ी रक्त वाही में काला न जमा हुआ रक्त उपस्थित था।

उक्त साक्षी ने इस आशय के अभिमत दिए हैं कि संरक्षित वन जीव बाघ की मृत्यु विद्युत करेंट लगने से हुई थी, जो परीक्षण के 30 से 32 घण्टे के अंदर की थी। उनके द्वारा तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.–32 है, जिसके तृतीय पृष्ठ के ए से ए भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा उनके साथी डॉ. गुप्ता के भी हस्ताक्षर हैं।

29. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम बहस में यह तर्क किया है कि परिवाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेश नहीं किया गया है। बाघ के मामले में रेंज

08-2-21

(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

ऑफीसर या उससे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ही परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवाद दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 2डी के अनुसार ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जो लिखित परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस पर सहायक परिक्षेत्र अधिकारी बड़वारा के हस्ताक्षर हैं, रेंज ऑफीसर/वन परिक्षेत्र अधिकारी बड़वारा के हस्ताक्षर नहीं हैं। जो गवाहों की सूची प्रस्तुत की गई है, उसमें कमांक–12 पर के. के. शर्मा वन परिक्षेत्र अधिकारी बड़वारा को लेख करते हुए इस्तगासा पेशकर्ता लेख किया गया है, परंतु उनकी साक्ष्य नहीं कराई गई है। अधिनियम की धारा 55 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के द्वारा परिवाद नहीं होने से संज्ञान दूषित है। प्रकरण में विवेचना अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नहीं की गई है। प्रकरण में जिस प्रकार घटना बताई गई है, बिजली चोरी के संबंध में भी अपराध होना बताया गया है, परंतु अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत वन विभाग द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आरोप पत्र एवं कम्प्लेन्ट में अंतर है, जो इस्तगासा पेश किया गया है, उसके पेशकर्ता मध्यप्रदेश शासन का होना लेख किया गया है।

30. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम बहस में यह भी तर्क किया है कि इस प्रकरण को इस न्यायालय में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा धारा 325 दप्रसं के अंतर्गत प्रेषित किया गया है, परंतु धारा 248 दप्रसं की अनुपालना करते हुए दोषसिद्धी का निर्णय लेख करने के पश्चात् ही प्रेषित करना चाहिए था, परंतु अनुपालना नहीं की गई है। अतः कार्यवाही दूषित है। अभियुक्तगण के धारा 313 दप्रसं के परीक्षण के प्रश्न के कमांक–64 में अभियुक्तगण ने "मालूम नहीं" का उत्तर लिखाया है, इस प्रकार परिवाद पत्र उचित रूप से प्रस्तुत नहीं है। परिवाद त्रुटिपूर्ण होने से प्रचलन योग्य नहीं है। प्रकरण में जो अभियुक्तगण एवं साक्षीगण के कथन लिए गए हैं, वह विधि अनुसार प्रमाणित नहीं हैं। फोटोग्राफ को भी विधि अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी सुकेश कुमार जरहा अ.सा.–2 ने प्रतिपरीक्षण की पैरा–18 में स्वीकार किया है कि आर्टिकिल ए–1 लंगायत ए–5 में दर्शित फोटो वाला बाघ वह बाघ नहीं है, जिसे मौके पर मृत अवस्था में पाया गया था। अतः अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया गया है।

31. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अंतिम बहस में किए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में जहां तक यह तर्क कि सक्षम परिवादी के द्वारा परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि परिवाद वन विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है वह प्रिंटेड प्रोफार्मा सहित हस्तलिखित तथ्यों के विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रिंटेड प्रोफार्मा में परिवाद प्रस्तुतकर्ता वन परिक्षेत्र अधिकारी के. के. शर्मा हैं और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। आदेश पत्रिका दिनांक 26.02.2013 में उनके द्वारा प्रस्तुत करना लेख करते हुए पक्षकारों के हस्ताक्षर वाले कॉलम में उनके हस्ताक्षर हैं। यद्यपि उक्त हस्ताक्षर के ऊपर ही आरोपी के अधिवक्ता के द्वारा चालानी प्रतियों के संबंध में टीप अंकित कर हस्ताक्षर किए गए हैं, परंतु अवलोकन से के. के. शर्मा के हस्ताक्षर उन्हीं के नीचे दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार परिवाद प्रस्तुतकर्ता वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं।

32. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क इस आधार पर है कि जो प्रिंटेड प्रोफार्मा के परिवाद के साथ हस्तलिखित आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है, उस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में दप्रसं की धारा 2डी अवलोकनीय है, जिसमें परिवाद का कोई प्रारूप नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त न्याय दृष्टांत भीमप्पा वि. लक्ष्मण ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1153 एवं न्याय दृष्टांत मोहम्मद यूसुफ वि. श्रीमति अफाक जहां ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 705 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि परिवाद का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। ऐसी स्थिति में जबकि परिवाद पत्र प्रिंटेड प्रोफार्मा में प्रस्तुत है और उसके साथ विवरण एवं तथ्यों के अतिरिक्त तथ्य हस्तलिखित आवेदन में प्रस्तुत किए गए हैं। तब ऐसी स्थिति में चूंकि विवरणों में अपराध के संघटक एवं कृत्यों का पूर्ण विवरण करते हुए अभियुक्तगण के नाम उल्लेखित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही का निवेदन किया गया है। उक्त विवेचन से प्रस्तुत परिवाद पत्र उचित प्रारूप में होना निष्कर्षित है। अतः बचाव पक्ष को उक्त तर्कों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

33. बचाव पक्ष की ओर से किया गया जहां तक यह तर्क कि परिवाद

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं है। इस संबंध में उनकी ओर से न्याय दृष्टांत बंशीलाल वि. स्टेट ऑफ एम.पी. 2013 (III) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 40 प्रस्तुत कर तर्क किया गया है कि आरोप पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा फाईल नहीं किया गया। अतः आरोप पत्र अनावेदक को वापस किया जाना चाहिए और यह भी तर्क किया गया है कि उक्त निर्णय की कंडिका–5 के अनुसार अधिनियम की धारा 55 के अनुक्रम में निर्मित नियम 1974 के अनुसार केवल वर्णित अधिकारी ही परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, चूंकि परिवाद में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः परिवाद सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रस्तुत नहीं है।

34. बचाव पक्ष के उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से किया गया उक्त तर्क संभवतः इस आधार पर है कि प्रिंटेड प्रोफार्मा के साथ हस्तलिखित तथ्यों का विवरण जो प्रस्तुत किया गया है उस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी के. के. शर्मा के हस्ताक्षर नहीं होकर बल्कि सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश प्राणी (संरक्षण) नियम 1974 बनाए गए हैं, जिसके अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। जहां तक संलग्न विवरण जो हस्तलिखित है मात्र वही परिवाद नहीं है, बल्कि हस्तलिखित आवेदन सहित प्रिंटेड प्रोफार्मा संपूर्ण प्रपत्र परिवाद है मात्र हस्तलिखित आवेदन ही अकेला परिवाद नहीं है। हस्तगत प्रकरणों में जो परिवाद प्रिंटेड प्रोफार्मा एवं हस्तलिखित आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है, में प्रिंटेड प्रोफार्मा में वन परिक्षेत्र अधिकारी के हस्ताक्षर हैं एवं परिवाद प्रस्तुति दिनांक को उनके द्वारा उपस्थित होकर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से किया गया यह तर्क कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है और इसी के साथ प्रस्तुत न्याय दृष्टांत की तथ्य परिस्थितियां इस प्रकरण से भिन्न होने से प्रयोज्य नहीं है। अतः बचाव पक्ष को उक्त तर्कों एवं न्याय दृष्टांत से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

35. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया गया है कि वन विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद की साक्ष्य सूची में कमांक– 12 में के. के. शर्मा, वन

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

परिक्षेत्र अधिकारी को इस्तगासा पेशकर्ता की हैसियत से लेख किया गया है। विधि अनुसार फरियादी एवं सूचनाकर्ता में अंतर है। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त विवेचन में वन परिक्षेत्र अधिकारी के. के. शर्मा प्रकरण में परिवादी होना निष्कर्षित हैं। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से उसे सूचनाकर्ता के रूप में किया गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं होने से बचाव पक्ष को उक्त तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

36. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम बहस में यह भी तर्क किया है कि प्रकरण में जांच भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के द्वारा की गई है और जांचकर्ता सक्षम प्राधिकारी नहीं है। इस संबंध में फारेस्ट मैनुअल की पैरा 77 (ए)(1) अवलोकनीय है, जिसके अनुसार वन अपराध प्रकरण की जांच वन क्षेत्रपाल अथवा कोई भी वन अधिकारी जांच कर सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत श्रीमति अतिबाई एण्ड अदर्स वि. स्टेट ऑफ एम.पी. 2008 (2) एम.पी.एच.टी. 76 अवलोकनीय है, उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित अभिमत एवं मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है। जहां तक कई लोगों के द्वारा जांच करने के आक्षेप का संबंध है। उक्त आक्षेप विधि अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है। जांच में एक या अधिक व्यक्ति सम्मलित हो सकते हैं। अतः बचाव पक्ष की ओर से किया गया उक्त तर्क स्वीकार योग्य न होने से उक्त तर्क से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

37. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम बहस में यह तर्क किया है कि प्रकरण में विद्युत करेंट के द्वारा शिकार का आरोप है। इस संबंध में अवैध रूप से विद्युत लेने के संबंध में सुभिन्न अपराध गठित होता है, परंतु वन विभाग द्वारा धारा 56 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः संपूर्ण कार्यवाही दूषित है। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि तर्क हेतु यदि अवैध रूप से विद्युत लेने के तथ्य को मान भी लिया जाए, तब उससे वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध एवं वन विभाग द्वारा कार्यवाही को दूषित माना जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यह एक सुभिन्न अपराध है। ऐसी स्थिति में उक्त तर्कों से भी बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

08-2-21.

(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

38. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा लिए गए अभियुक्तगण के कथन एवं साक्षियों के कथन प्रमाणित नहीं हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि अभियोजन साक्षीगण ने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण के कथन और साक्षियों के कथन उनके बताएं अनुसार लेख करना बताया है तथा साक्षियों ने अपने कथन पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि वन अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है और उनके द्वारा अभियुक्तगण के लिए गए कथन न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का प्रभाव रखते हैं। यदि संस्वीकृति स्वतंत्रता या स्वेच्छया से की गई है, तब वह न्यायालय में प्रतिग्रहित की जा सकती है। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण से संस्वीकृति को आक्षेपित करने के संबंध में कोई भी चुनौती या संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न नहीं की गई हैं। अभियोजन साक्षीगण ने भी अपने कथनों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और न्यायालय में अपने न्यायालयीन कथन में उन्हें प्रमाणित किया है।

39. बचाव पक्ष के उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में न्याय दृष्टांत संसारचंद्र वि. स्टेट ऑफ राजस्थान, उच्चतम न्यायालय निर्णय दिनांक 20 अक्टूबर 2010 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के प्रमाणित करने के सिद्धांत एवं साक्ष्य विवेचन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। उक्त न्याय दृष्टांत के मार्गदर्शन से प्रकरण में आई साक्ष्य प्रमाणित एवं विश्वसनीय है तथा न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की पुष्टि करते हैं। न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के संपोषक साक्ष्य की पुष्टि होती है। अतः बचाव पक्ष की ओर से किया गया उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

40. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम बहस में यह तर्क किया है कि प्रस्तुत प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय द्वारा धारा 325 दप्रसं के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में भेजा गया है, परंतु दोषसिद्धी का निर्णय पारित किए बिना ही भेज दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्यवाही दूषित है, क्योंकि धारा 248 दप्रसं के उपखण्ड 2 की अनुपालना नहीं की गई है। अतः कार्यवाही दूषित है।

08-2-21
(इन्दु कांन्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

41. इस संबंध में यह अविवादित है कि हस्तगत प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय द्वारा धारा 325 दप्रसं के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में भेजा गया है, परंतु इस संबंध में धारा 325 दप्रसं के प्रावधान का मनन करने पर प्रकट है कि संबंधित मजिस्ट्रेट अपनी राय अभिलिखित कर प्रकरण को धारा 325 दप्रसं के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में प्रेषित कर सकता है। जहां तक बचाव पक्ष की ओर से किया गया यह तर्क कि दप्रसं की धारा 248 के उपखण्ड 2 के अनुक्रम में दोषसिद्धी का निष्कर्ष देने के पश्चात् ही धारा 325 दप्रसं के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रावधान का पठन एवं मनन करने पर प्रकट है कि इसका उद्देश्य यह है कि जब किसी मामले में कोई मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है, किंतु वह धारा 325 दप्रसं या धारा 360 दप्रसं के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है, वहां दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा। इस प्रकार दण्डादेश देने के पूर्व की कार्यवाही के संबंध में प्रावधान है न कि विपरीत कम से अर्थात् उल्टा कार्यवाही कि धारा 325 दप्रसं में कार्यवाही करने के पूर्व दोषसिद्ध किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में धारा 325 दप्रसं स्पष्ट है कि मात्र मजिस्ट्रेट को राय व्यक्त करनी है। हस्तगत प्रकरण में मजिस्ट्रेट के द्वारा राय व्यक्त करते हुए प्रकरण को उपार्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि धारा 325 दप्रसं के अंतर्गत कार्यवाही संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा दिनांक 08.02.2019 को की गई है। उक्त कार्यवाही के संबंध में किया गया आक्षेप तत्समय ही निराकृत हो चुका है। इतने विलंब के पश्चात् एक ऐसी कार्यवाही जो मात्र प्रकियात्मक विधि के संबंध में है, ग्राह्य नहीं है तथापि अग्रिम विवेचन करें। प्रकियात्मक विधि के संबंध में किसी त्रुटि से वस्तुतः न्याय प्रभावित हुआ हो ऐसा कोई आक्षेप नहीं है। अतः उक्त तर्क से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

42. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम बहस में तर्क किया है कि आरोप पत्र में कृत्य का विवरण नहीं है। ऐसी स्थिति में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में दप्रसं की धारा 215 अवलोकनीय है। उक्त प्रावधान के अनुसार आरोप पत्र के कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED

विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप को मामले के किसी प्रकम में तब ही तात्विक माना जाएगां, जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई मामला नहीं है कि अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया और उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में कोई तात्विक गलती नहीं होने से बचाव पक्ष को उक्त तर्कों से भी कोई लाभ प्राप्तं नहीं होता है।

43. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम बहस में यह तर्क किया है कि यह मामला 11,000 बोल्ट की विद्युत लाईन से तार द्वारा करेंट लेकर शिकार का है, जबकि ऐसी विद्युत लाईन लगभग 50 मीटर दूरी पर है और प्रकरण में जप्त तार बहुत कम है, कोई बांस आदि भी जप्त नहीं है। अतः अपराध करना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि विभिन्न आरोपियों से भिन्न–भिन्न लंबाई के तार जप्त हुए हैं जो पर्याप्त मात्रा में है और कथित बांस की भी जप्ती की गई है। यह भी महत्वपूर्ण है कि साक्षियों को प्रकट हुआ है कि तार गल गए थे, तब ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उक्त तर्क तथ्यों से विपरीत होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

44. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम बहस में यह तर्क किया है कि अभियोजन साक्षी मुकेश जरहा अ.सा.–2 ने कथन की पैरा 18 में यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल से लगायत ए–1 से ए–5 में दर्शित फोटो वाला बाघ वह बाघ नहीं है, जिसे मौके पर मृत अवस्था में पाया गया है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त साक्षी मुकेश कुमार जरहा अ.सा.–2 की संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन करें। उक्त साक्षी ने अपने संपूर्ण कथनों में अभियुक्तगण द्वारा विद्युत करेंट से बाघ के शिकार करने और मौके पर मृत बाघ के पाए जाने के आशय के कथन किए है। प्रतिपरीक्षण में भी बचाव पक्ष के संपूर्ण तथ्यों से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में जबकि उक्त साक्षी के साढ़े 4 पेज के कथन में इसी आशय के कथन हैं, तब मात्र दो लाईन में कोई ऐसा विपरीत तथ्य आ जाने से हमें संपूर्ण साक्ष्य को देखना होगा और उक्त साक्षी के संपूर्ण कथन अभियुक्तगण द्वारा विद्युत लाईन से शिकार करने के बिंदु पर स्पष्ट हैं। विस्तार से किए गए प्रतिपरीक्षण में भी उक्त बिंदु पर स्थित रहा है। तब

08-2-21

(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

फोटोग्राफ में आई किंचित एक परिस्थिति से विपरीत अनुमान निकाला जाना न्यायानुमत नहीं है। अतः उक्त तर्क से भी बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

45. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी सुकेश कुमार जरहा अ.सा.–2 ने न्यायालयीन कथन में दस्तावेजों को प्रमाणित करते हुए इस आशय के स्पष्ट कथन किए हैं कि अभियुक्तगण के द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर बाघ का विद्युत प्रवाह कर शिकार कर मृत्यु कारित की गई। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी मुख्य परीक्षण में कही गई बात पर स्थिर रहा है। ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिसे अस्वाभाविक कहा जा सके। उक्त साक्षी के कथनों के प्रतिपरीक्षण में कोई तात्विक विरोधाभाष, विलुप्ति एवं विसंगति नहीं आई है। उक्त साक्षी के द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रतिपरीक्षण में सत्यनिष्ठ एवं विश्वसनीय रहे हैं। अनिल कुमार पाण्डे अ.सा.–3 एवं राजेन्द्र कुमार कर्ण अ.सा.–4 एवं रमेश कुमार काछी अ.सा.–5, मुकेश कुमार कुंडे अ.सा.–6, विजय प्रताप सिंह अ.सा.–7, गोविंद नारायण अ.सा.–8 साक्षीगण ने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन का पूर्णतया समर्थन किया है। उक्त साक्षीगण के कथन भी प्रतिपरीक्षण में स्थिर, विश्वसनीय एवं स्वाभाविक रहे हैं। उक्त साक्षीगण ने सभी दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। उक्त साक्षीगण के कथन में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिसे अस्वाभाविक कहा जा सके।

46. अभियोजन साक्षीगण के कथनों की पुष्टि करते हुए डॉ. नितिन प्रसाद गुप्ता अ.सा.–10 ने मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–32 को प्रमाणित करते हुए बिजली करेंट से बाघ की मृत्यु होना प्रमाणित किया है। सेंटर फॉर वाईल्ड लाईफ फोरेन्सिक एण्ड हेल्थ रिपोर्ट के द्वारा जारी रिपोर्ट प्रदर्श पी–50 में उतक परीक्षण बाघ का होना लेख किया है। उक्त रिपोर्ट निदेशक के द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील अंकित कर जारी की गई है। धारा 293 दप्रसं के अंतर्गत उक्त वैज्ञानिक विशेषज्ञ रिपोर्ट स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होने से साक्ष्य के तौर में उपयोग में लाई जा सकती है। अतः उक्त रिपोर्ट से भी बाघ की मृत्यु होना प्रमाणित है। अतः अभियोजन साक्षीगण के कथनों की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से होती है।

47. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपए TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED

अभियोजन एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों से जिनकी पुष्टि दस्तावेज प्रदर्श पी 1 लगायत 51 से होती है, के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त एवं समाधानप्रद रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियोजन कथानक मुताबिक घटना दिनांक, समय, स्थान पर अभियुक्तगण पप्पू कोल, रज्जू लुनिया, मुण्डा कोल, सुखदीन, गुलजारी, संदीप, उदय सिंह, बुद्धू कोल, रामदास, राजेश उर्फ राकेश उर्फ दुर्बल यादव के द्वारा वन परिक्षेत्र बड़वारा/बरही के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष कमांक–448, जुगियाहार जमुना नाला के पास बिना अनुमति के प्रवेश करते हुए संरक्षित वन्य जीव जो सूची कमांक–1 में शामिल राष्ट्रीय वन पशु बाघ का शिकार किया और ऐसा कर धारा 9, 39 का उल्लंघन होने से धारा 51 (1) के द्वितीय भाग, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अपराध कारित किया। अतः अभियुक्तगण पप्पू कोल, रज्जू लुनिया, मुण्डा कोल, सुखदीन, गुलजारी, संदीप, उदय सिंह, बुद्धू कोल, रामदास, राजेश उर्फ राकेश उर्फ दुर्बल यादव को धारा 9, 39 का उल्लंघन कर धारा 51 (1) के द्वितीय भाग के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

48. दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

पुनश्चः–

49. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण पप्पू कोल, रज्जू लुनिया, मुण्डा कोल, सुखदीन, गुलजारी, संदीप, उदय सिंह, बुद्धू कोल, रामदास, राजेश उर्फ दुर्बल यादव के अधिवक्ता के द्वारा व्यक्त किया गया कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण आदतन अपराधी नहीं है इसलिए उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। अभियोजन के द्वारा अभियुक्त के किसी पूर्व अपराध को प्रमाणित नहीं किया गया है, जिससे यह अभियुक्त का प्रथम अपराध होना प्रकट होता है किंतु अभियुक्तगण द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल राष्ट्रीय वन पशु बाघ का शिकार जैसा कृत्य किया गया है। जिसके लिए सारभूत एवं शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रत्येक अभियुक्तगण पप्पू कोल, रज्जू लुनिया, मुण्डा कोल, सुखदीन, गुलजारी, संदीप, उदय

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

सिंह, बुद्धू कोल, रामदास, राजेश उर्फ राकेश उर्फ दुर्बल यादव को धारा 9, 39 का उल्लंघन कर धारा 51 (1) के द्वितीय भाग के अपराध में पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000–10,000/– (दस–दस हजार रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि व्यतिकम करने पर 9 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए।

50. अभियुक्तगण पप्पू कोल, रज्जू लुनिया, मुण्डा कोल, सुखदीन, गुलजारी, संदीप, उदय सिंह, बुद्धू कोल, रामदास, राजेश उर्फ राकेश उर्फ दुर्बल यादव के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

51. प्रकरण में बाघ को पूर्व में जलाया जा चुका है। शेष जप्तशुदा सम्पत्ति जी.आई. तार, कुल्हाड़ी, बांस, खूंटी, जली हुई मिट्टी, खून एवं लार मिली हुई मिट्टी, पत्थर आदि मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन रहे।

52. प्रकरण में अभियुक्तगण पप्पू कोल, दिनांक 30.12.2012 से दिनांक 26.03.2013 तक एवं अभियुक्त रज्जू लुनिया, दिनांक 30.12.2012 से दिनांक 26.03.2013 तक अभियुक्त मुण्डा कोल, दिनांक 30.12.2012 से दिनांक 30.03.2013 तक एवं अभियुक्त सुखदीन, दिनांक 30.12.2012 से दिनांक 30.03.2013 तक तथा अभियुक्त गुलजारी, दिनांक 30.12.2012 से दिनांक 26.03.2013 तक एवं अभियुक्त संदीप, दिनांक 31.12.2012 से दिनांक 26.03.2013 तक एवं अभियुक्त उदय सिंह, दिनांक 31.12.2012 से दिनांक 26.03.2013 तक एवं अभियुक्त बुद्धू कोल, दिनांक 31.12.2012 से दिनांक 21.03.2013 तक एवं अभियुक्त रामदास, दिनांक 31.12.2012 से दिनांक 26.03.2013 तक तथा अभियुक्त राजेश उर्फ दुर्बल यादव दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 26.03.2013 तक दौरान विचारण न्यायिक निरोध में रहे हैं। अतः उक्त निरोध

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

प्रधान प्रतिलिपिकार (म.प्र.) कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय

दांण्डिक प्र.क्र. 901158 / 13
म0प्र0 शासन विरूद्ध सुखदीन वगैरह

में बिताई गई अवधि के समायोजन बावत् धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे। दौरान विचारण अभिरक्षा अवधि का सारवान सजा में मुजरा की जावे।

स्थान–कटनी
दिनांक–08.02.2021

मेरे द्वारा टंकित
अजय सिंह स्टेनो

निर्णय पृथक से मुद्रांकित, हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्‌घोषित किया गया।

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

08-2-21
(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

(इन्दु कान्त तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कटनी (म.प्र.) सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला न्यायालय कटनी (म.प्र.)

1388/21

1. आवेदन प्राप्ति की तारीख	12-2-21
2. आवेदक को उपस्थिति हेतु दी गई तारीख	15-2-21
3. आवश्यक ... तैयार होने की तारीख	10-3-21
4. आवेदन ... सही विवरणों सहित या रहित) अभिलेखागार को ... की तारीख	12-2-21
5. आवेदन पत्र के अभिलेखागार से (अभिलेख के साथ या और भी या सही विवरणों के लिये बिना अभिलेख के) प्राप्त होने की तारीख	15-2-21
6. आवेदक को और ... तथा सही विवरण देने की सूचना देने की तारीख	
7. ... आवेदक को ... जमा कराने की सूचना देने की तारीख	
8. ... (6) या (7) की सूचना के पालन की तारीख	
9. प्रतिलिपी तैयार की तारीख	10-3-21
10. प्रतिलिपी देने या भेजने की तारीख	10-3-21
... न्याय शुल्क	56 रु०